संख्याः 1818 /I/2006-03(8)/18/06

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेड़ा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग,

देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2006

विषयः— गैडीछीडा लघु जल विद्युत परियोजना क्षमता 250 कि0वा0 जनपद पौड़ी गढ़वाल का उरेडा द्वारा निर्माण किये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2131/उरेडा/4(1)—135/ग्रा0स/06, दिनांक 04.08.2006 एवं पत्रांक 2473/उरेडा/4(1)—98/गौ0छी0/2006, दिनांक 26.08.2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकेन्द्रीकृत प्रणाली एवं ग्रिड फिडिंग हेतु गैड़ीछीड़ा लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता 250 कि0वा0) का उरेडा द्वारा प्रस्तुत आगणन रु0 247.23 लाख के विरुद्ध टी0एस0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 223.70 लाख (रु0 दो करोड़ तेइस लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत के आंगणन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकति नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेक—अप किया जाय।

5— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

.....2

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9– जी.पी.डब्लू. फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्म के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें।

11– शासनादेश सं0 2047/XIV-219(206) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810 के सुसंगत मदों से यथासमय आवंटित धनराशि एवं भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश से वहन किया जायेगा। जो धनराशि जन सहभागिता के सक्षम लाभार्थी अंश से प्राप्त की जानी है, उसे यथासमय प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

/

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

संख्याः 188 /1/2006-03(8)/18/05, तदिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तरांचल शासन।
4– वित्त अनुभाग–2,
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

C:\Documents and Settings\...doc